

**बिहार सरकार**  
**मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग**

प्रेषक,

अजय कुमार द्विवेदी,  
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

उप सचिव (नयाचार)  
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग,  
बिहार, पटना।

पटना-15, दिनांक-.....मार्च, 2015

**विषय :-** वित्तीय वर्ष 2014-15 में मांग सं०-04 के मुख्यशीर्ष-2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ-00-115-अतिथिगृह, सरकारी होस्टल आदि-0001-राज्य अतिथिगृह के अन्तर्गत द्वितीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि के विरुद्ध रु० 27,50,000/- (सत्ताईस लाख पचास हजार रुपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

**प्रसंग :-** विभागीय आवंटन पत्रांक-06, दिनांक-12.08.2014

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक के प्रसंग में कहना है कि वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-ब०-17/बी०एस०जी०-314/2014-69/वि० दिनांक-20.01.2015 के आलोक में प्रासांगिक पत्र के क्रम में मांग सं०-04 के मुख्य शीर्ष-2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ-00-115-अतिथि गृह, सरकारी होस्टल आदि-0001-राज्य अतिथिगृह के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में द्वितीय अनुपूरक से प्राप्त राशि के विरुद्ध रु० 27,50,000/- (सत्ताईस लाख पचास हजार रुपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन निम्न रूपेण किया जाता है, जिसका विपत्र कोड सं०- N 2070001150001 है।

क्र० सं०	विषय शीर्ष	वर्ष 2014-15 का बजट उपबंध	पूर्व आवंटित राशि	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटित राशि	शेष राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	01 01 वेतन	15,34,600	15,34,600	5,00,000	20,34,600	शून्य
2	13 02 वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव	-	-	2,50,000	2,50,000	शून्य
3	13 04 विद्युत प्रभार	2,15,000	2,15,000	16,00,000	18,15,000	शून्य
4	21 01 सामग्री एवं पूर्तियाँ	1,00,000	1,00,000	4,00,000	5,00,000	शून्य
<b>कुल योग :-</b>		<b>18,49,600</b> (अठारह लाख उन्चास हजार छः सौ) रुपये	<b>18,49,600</b> (अठारह लाख उन्चास हजार छः सौ) रुपये	<b>27,50,000</b> (सत्ताईस लाख पचास हजार) रुपये	<b>45,99,600</b> (पैंतालिस लाख नितानब्बे हजार छः सौ) रुपये	<b>शून्य</b>

2. आवंटित राशि का व्यय मांग सं०-04 के मुख्य शीर्ष-2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ-00-115-अतिथि गृह, सरकारी होस्टल आदि-0001-राज्य अतिथि गृह के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में विकलनीय होगा। इसका विपत्र कोड संख्या-N 2070001150001 है।

02

3. आवंटित राशि का व्यय वित्त विभाग के पत्र सं०-2561/वि० (2) दिनांक-17.04.98 में निहित प्रावधानों के आलोक में किया जाएगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र में यह अंकित किया जायेगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध एवं आवंटित राशि के अधीन है। संबंधित विपत्र में विभाग के आवंटनादेश संख्या एवं तिथि का भी उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र की निकासी की जायेगी।

4. किसी भी परिस्थिति में राशि का विचलन नहीं किया जायेगा न ही राशि से अधिक राशि का व्यय किया जायेगा।

5. विभागीय आवंटन आदेश सं०-11 दिनांक-30.01.2015 को रद्द समझा जाय।  
विश्वासभाजन,

ह०/-

(अजय कुमार द्विवेदी)

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक :- बी०/बजट-01-1021/2014..... पटना-15, दिनांक-.....मार्च, 2015  
प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक :- बी०/बजट-01-1021/2014..... पटना-15, दिनांक-.....मार्च, 2015  
प्रतिलिपि :- महालेखाकार बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक :- बी०/बजट-01-1021/2014..... 13..... पटना-15, दिनांक-..... 04.....मार्च, 2015  
प्रतिलिपि :- वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/लेखा शाखा (नयाचार) मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-06/आई०टी० मैनेजर, कम्प्यूटर कोषांग, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।